

सं० 27/10/2013-एस०आर०एस०
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 18 दिसम्बर, 2013

18 DEC 2013

सेवा में,

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखण्ड ।

विषय:- दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में श्री राजेन्द्र सिंह बघेल, सिनेमा ऑपरेटर, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून का उत्तर प्रदेश राज्य हेतु पुनरावंटन हेतु विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राजेन्द्र सिंह बघेल, सिनेमा ऑपरेटर, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून का उत्तर प्रदेश राज्य हेतु पुनरावंटन हेतु उनसे प्राप्त प्रत्यावेदन पर परामर्शी समिति की दिनांक 18.09.2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । समिति को अवगत करवाया गया कि श्री राजेन्द्र सिंह बघेल, सिनेमा ऑपरेटर चतुर्थ श्रेणी के कार्मिक है तथा चतुर्थ श्रेणी कार्मिक आवंटन नीति से आच्छादित हैं । अतः समिति द्वारा उन्हें उनके विकल्प के अनुसार उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन किये जाने की संस्तुति की गयी ।

2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री राजेन्द्र सिंह बघेल, सिनेमा ऑपरेटर, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटित किये जाते हैं ।

3. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ०प्र० पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. श्रीमती हेमलता ढौंडीयाल, सचिव, उत्तराखण्ड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Deptt. of Personnel & Trg., L. N. Bhawan
सचिवालय, लखनऊ अनुभाग
Receipt & Issued Section
18 DEC 2013
जारी किया/ISSUED